राजस्थान–सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक प.2( )निचिस्वा/विधि/2025/153 दिनांक : 21/2/25

:: बैठक कार्यवाही विवरण ::

न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में जवाव से लम्वित प्रकरणों व अवमानना प्रकरणों में शीघ्र जवाबदावा/पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु माननीय निदेशक (जन स्वास्थ्य) महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 01.02.2025 को बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा भाग लिया गया।

1. श्री ओ.पी. शर्मा, संयुक्त निदेशक एवं स्टेट नोडल अधिकारी, विधि, मुख्यालय।
2. श्री मनोज कुमार शर्मा, स्थायी केस प्रभारी अधिकारी, विधि अनुभाग, मुख्यालय।
3. श्रीमती कानू नीमावत, स्थायी केस प्रभारी अधिकारी, सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
4. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा0) एवं समस्त कनिष्ठ विधि अधिकारी।
5. श्री गजेन्द्र सिंह जाट, उप विधि परामर्शी, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
6. श्री विभात सिंवर, सहायक विधि परामर्शी, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
7. श्री साकिर दीन, कनिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
8. श्रीमती मोनिका शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
9. सुश्री मनीषा मीणा, कनिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
10. सुश्री नेहा मीणा, कनिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
11. सुश्री शिवानी मच्या, कनिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।

उक्त बैठक में निम्न दिशा–निर्देश प्रदान किये गये :–

1. समस्त संयुक्त निदेशक–जोन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारीं, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0), जिला प्रजनन, शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला क्षय रोग अधिकारी, समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त सीएचसी, पीएचसी प्रभारी एवं अन्य सभी मुख्यालय के केस प्रभारी अधिकारी स्वयं के एवं अपने अधीनस्थ कार्यालय से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर/अधिकरण में विभाग के विरुद्ध दायर जवाब से लम्वित याचिकाओ/ अवमानना प्रकरणों/डीवी स्पेशल अपीलों में अविलम्ब जवाबदावा प्रस्तुत करने की कार्यवाही करें। विभाग के विरुद्ध दायर प्रकरणों में केस प्रभारी अधिकारी द्वारा समय पर जवाब/पालना रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने पर माननीय न्यायालय द्वारा विभाग के विरुद्ध प्रतिकूल आदेश पारित करते हुये उच्च अधिकारियों को व्यक्तिशः उपस्थित होने के आदेश पारित किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित केस प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध सीसीए नियमों के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
2. समस्त अवमानना प्रकरणों में नियुक्त केस प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अवमानना प्रकरण में केस प्रभारी अधिकारी आदेश/अवमानना याचिका की प्रति प्राप्त होते ही जिस आदेश के विरुद्ध अवमानना दायर हुई है, उस आदेश के सम्बन्ध में सम्बन्धित शाखा द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट/पालना प्राप्त कर सम्बन्धित अतिरिक्त महाधिवक्ता से सम्पर्क कर जवाब/पालना रिपोर्ट अविलम्ब माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
3. विभाग के विरुद्ध दायर याचिकाओं/अवमानना प्रकरणों में तथ्यात्मक रिपोर्ट/पालना रिपोर्ट निदेशालय के स्तर से अपेक्षित है, उन प्रकरणों में उस बिन्दु का आवश्यक रूप से उल्लेख करें, जिसके सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट निदेशालय से अपेक्षित है।
4. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा0) एवं नोडल अधिकारी एवं समस्त कनिष्ठ विधि अधिकारी, सहायक नोडल जवाब/पालना से शेष प्रकरणों के सम्बन्ध में निदेशालय में भविष्य में आयोजित बैठक में वांछित सूचना/प्रकरण की सम्पूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
5. जिलों में अतिरिक्त/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0) कार्यालय में पदस्थापित कनिष्ठ विधि अधिकारी नोडल अधिकारी के साथ सहायक नोडल अधिकारी के रूप में सम्पूर्ण विधिक कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।
6. उक्त बैठक में अनुपस्थित रहें नोडल अधिकारियों को पृथक से कारण बताओं नोटिस जारी किये जायेंगे।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों ने समस्त विधिक कार्य शीघ्रता से निष्पादन किए जाने की सुनिश्चितता हेतु आश्वस्त किया। बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक प.2( )निचिस्वा/विधि/2025/153 दिनांक : 21/2/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम, मुख्यालय।
3. निजी सचिव, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, आयुक्तालय, मुख्यालय।
4. निदेशक, अराजपत्रित, मुख्यालय।
5. अतिरिक्त निदेशक, (राजपत्रित), मुख्यालय।
6. संयुक्त निदेशक एवं राज्य नोडल अधिकारी, विधि, मुख्यालय।
7. संयुक्त निदेशक (नर्सिंग/अराजपत्रित/भर्ती प्रकोष्ठ/प्रशिक्षण), राजपत्रित/आरसीएच/एड्स/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (राजपत्रित)/संयुक्त आयुक्त, खाद्य एवं औषधि मुख्यालय/परियोजना निदेशक, एनएचएम को बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति प्रेषित कर लेख है कि विभाग के विरुद्ध जवाव से शेष प्रकरणों/अवमानना प्रकरणों में पालना से शेष प्रकरणों में अविलम्ब जवाव/पालना रिपोर्ट सम्बन्धित केस प्रभारी अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें। जवाव/पालना रिपोर्ट समय पर केस प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा विभाग के विपरीत आदेश के पारित किये जाने की स्थिति में आप स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।
8. समस्त सयुंक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–राजस्थान।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,राजस्थान।
11. समस्त अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0), राजस्थान।
12. समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
13. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा0/प0क0), राजस्थान।
14. समस्त जिला क्षय रोग अधिकारी, राजस्थान।
15. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
16. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी/पीएचसी, राजस्थान।
17. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
18. सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि बैठक कार्यवाही विवरण को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड कर सभी सम्बन्धित को ई–मेल करावें।
19. आदेश हेतु रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।